



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273501
CG-DL-E-16062026-273501

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2990]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 2990]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3111(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3903 तारीख 25/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी.658.000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23.09.2025 को दैनिक सकाळ (मराठी) और टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी.658.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: कोल्हापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हातकणंगले					
गांव का नाम: घुणकी					
1	1433 अंशतः	निजी	कृषिक	0.0325	माणिक विशू मोहिते, सर्जेराव विष्णू मोहिते
2	1437 अंशतः	निजी	कृषिक	0.102	सुभाष कृष्णात मोहिते, पोपट गणपती मोहिते, प्रकाश गणपती मोहिते, बाबुराव कृष्णात मोहिते, मोहन कृष्णात मोहिते
गांव का नाम: शिरोली					
3	145 अंशतः	निजी	कृषिक	0.0235	शर्मिष्ठा शामराव यादव, गीतांजली अभिजित झुंजारराव, राधिका पृथ्वीराज जाधव, शिवराज शामराव यादव, शेतकरी सहकारी तंबाखू खरेदी-विक्री संघ, कोल्हापूर, तिरुपती भात सहकारी खरेदी-विक्री संस्था, मर्यादित उचगाव तर्फे संचालक स्नेहा संजय

					पाटील, प्रियांका विजय यादव, नंदा विजय यादव
Total				0.158	

[फा. सं. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3111(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No. **3903 Dated:25/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/Six -Laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-48 in the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000 in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in Daily Sakal in MARathi & Daily Times Of India in English and both dated 23.09.2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000 in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hatkanangle					
Village: Ghunki					
1	1433 Part	Private	Agriculture	0.0325	Manik Vishnu Mohite, Sarjerao Vishnu Mohite
2	1437 Part	Private	Agriculture	0.102	Subhash Krushnat Mohite, Popat Ganapati Mohite, Prakash Ganapati

					Mohite, Baburao Krushnat Mohite, Mohan Krushnat Mohite
Village: Shirol					
3	145 Part	Private	Agriculture	0.0235	Sharmishta Shamrao Yadav, Geetanjali Abhijit Zunarrao, Radhika Pritviraj Jadhav, Shivraj Shamrao Yadav, Shetkari Sahakari Tambakhu Kharedi- Vikri Sangh, Kolhapur, Tirupati Bhat Sahakari Kharedi-Vikri Sanstha maryadit Uchgaon Tarf Sanchalak Sneha Sanjay Patil, Priyanka Vijay Yadav, Nanda Vijay Yadav
Total				0.158	

[F. No. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director